Total Pages-48

CODE NO.
Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में हीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर **"उत्तर के माध्यम"** के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

CONFIDENTIAL SEAL

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No.1 **[03 Marks]** ☐

How and when a Magistrate of First Class can issue process in a private complaint.

प्रश्न संख्या 1

एक व्यक्तिगत परिवाद में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कब व कैसे आदेशिका जारी कर सकता है ?

Question No.2 **[03 Marks]** ☐

'F', wife of 'M', living in state of adultery. 'P', father of 'M', files a written complaint before Magistrate against 'F' under section 494 IPC.

Whether, criminal proceedings can be initiated against 'F'? Explain with reason.

प्रश्न संख्या 2

'M' की पत्नी 'F', जो कि जारता की दशा में रह रही है। 'M' का पिता 'P', मजिस्ट्रेट के समक्ष 'F' के विरूद्ध धारा 494 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु लिखित परिवाद प्रस्तुत करता है।

क्या, 'F' के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की जा सकती हैं ? कारण सहित स्पष्ट कीजिये।

Question No.3 **[03 Marks]** ☐

A Court of Sessions, while convicting the accused for offence under section 325, 307 IPC, imposes a sentence of 10 years simple imprisonment and fine of Rs. 50,000/-, out of which Rs. 30,000/- to be given to injured-victim as compensation.

Briefly, examine the legality of the order for compensation, after applying relevant provisions of Cr.P.C.

प्रश्न संख्या 3

सेशन न्यायालय एक अभियुक्त को धारा 325, 307 भा.द.सं. के अपराध हेतु दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का साधारण कारावास एवं 50,000 रूपये अर्थदण्ड और उक्त राशि में से 30,000 रूपये आहत–व्यथित व्यक्ति को बतौर प्रतिकर देने का आदेश करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों को लागू करते हुए उक्त प्रतिकर आदेश की वैद्यता की संक्षेप में विवेचना कीजिये।

Question No.4 **[03 Marks]** ☐

Summarize, the "Power of a Judge" under section 165 Evidence Act.

प्रश्न संख्या 4

साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में वर्णित ''न्यायाधीश की शक्ति'' को संक्षेप में बताइये।

Question No.5 **[03 Marks]** ☐

'Hari', prosecutes 'Kalu' for adultery with his wife 'Neelu'. 'Kalu' denies that 'Neelu' is wife of 'Hari'. The Court convicts 'Kalu' for the adultery. Afterwards, 'Neelu' is prosecuted for bigamy in marrying 'Kalu' during 'Hari's' lifetime. 'Neelu' says that she never married to 'Hari'. 'Hari' produced copy of judgment, wherein, 'Kalu' was convicted for adultery with 'Neelu'.

Whether, judgment in case of 'Kalu' is relevant against 'Neelu'? Explain in brief with relevant provision.

प्रश्न संख्या 5

'हरी', 'कालू' को अपनी पत्नी 'नीलू' के साथ जारता हेतु अभियोजित करता है। 'कालू' इस बात से इंकार करता है कि 'नीलू', 'हरी' की पत्नी है। न्यायालय 'कालू' को जारता हेतु दोषसिद्ध कर देता है। तत्पश्चात्, 'हरी' के जीवनकाल में 'कालू' से द्विविवाह करने हेतु 'नीलू' को अभियोजित किया जाता है। 'नीलू' कहती है कि उसने कभी 'हरी' से विवाह नहीं किया। 'हरी' उस निर्णय की प्रति पेश करता है जिसमें कि 'कालू' को 'नीलू' के साथ जारता हेतु दोषसिद्ध किया गया था।

क्या, 'कालू' के विरूद्ध पारित निर्णय 'नीलू' के विरूद्ध सुसंगत है ? सुसंगत प्रावधान सहित संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिये।

Question No.6 **[03 Marks]** ☐

'A', just for enjoyment and fun with labours working in his field, drives a tractor around them in rash and negligent manner. Next day he repeats the same act in same mood and manner. A labour get hit by the tractor and resultantly, dies.

Whether, 'A' has committed any offence on both the days? Explain with brief reasons.

प्रश्न संख्या 6

'A', अपने खेत में कार्य कर रहे मजदूरों से मजाक–मनोरंजन हेतु खेत में उनके आस पास उपेक्षा व उतावलेपन से ट्रेक्टर चलाता है। अगले दिन भी वह उसी मूड व तरीके से वही कृत्य दोहराता है। एक मजदूर ट्रेक्टर से टकरा जाता है व परिणामतः उसकी मृत्यु हो जाती है।

क्या, 'A' ने दोनों दिवसों को कोई अपराध किया है ? संक्षिप्त कारणों सहित स्पष्ट कीजिये।